राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, कावेर पथ, एल.के.सैनी स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 20( )( ) बाअवि/ Fit Facility & Fit Person/2016/ 37619 जयपुर, दिनांक: 11/3/19

विषय – उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के विधि से संघर्षरत बच्चों एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों में आवश्यक जांच एवं सुनवाई उपरान्त बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में क्रमशः किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् अधिनियम में निर्धारित श्रेणी के बालक/बालिकाओं की अल्पकालिक देखरेख सहित अन्य विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन–पोषण देखरेख के लिए किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था के उपयुक्त सुविधा के रूप में सेवाएं लिये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 2(27) के तहत् उपयुक्त सुविधा को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है–

"fit facility" means a facility being run by a governmental organisation or a registered voluntary or non-governmental organisation, prepared to temporarily own the responsibility of a particular child for a specific purpose, and such facility is recognised as fit for the said purpose, by the Committee, as the case may be, or the Board, under sub-section (1) of section 51;

"उपयुक्त सुविधा तंत्र" से किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र अभिप्रेत है, जो किसी विशिष्ट बालक का किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अस्थाई रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो और ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिए धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त है;

Scanned by CamScanner

अधिनियम के अंतर्गत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को निम्न में से किसी प्रयोजन के लिए नियम 27(10) के अनुसार उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है–

(i) अल्पकालिक देखरेख,
(ii) चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार,
(iii) मनोरोग और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख,
(iv) नशा–मुक्ति और पुनर्वास,
(v) शिक्षा,
(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास,
(vii) गवाह संरक्षण,
(viii) सामूहिक पालन पोषण देखरेख।

अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी उपयुक्त सुविधा द्वारा नियम 27(11) के अनुसार निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जायेगी–

(i) भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता और साफ–सफाई,
(ii) परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप,
(iii) प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता,
(iv) सेतु शिक्षा, निरन्तर शिक्षा सहित आयु अनुरूप उपयुक्त औपचारिक शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा,
(v) मनोरंजन, खेलकूद, ललित कलाएं और सामूहिक कार्यकलाप।

अधिनियम की धारा 18(1)(f) एवं धारा 37(1)(c) के तहत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त धारा 51 एवं नियम 27 के तहत् किसी विधि से संघर्षरत बच्चे तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के वर्णित विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन–पोषण देखरेख के लिए किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगी–

1. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) हेतु किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण–

Scanned by CamScanner

1. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए नियम 27(10) एवं 27(11) में वर्णित विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन–पोषण देखरेख हेतु जिला स्तर पर किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को चिन्हित कर सकेगी।
2. जिला स्तर पर बच्चे की जरूरत के अनुरूप अथवा उपयुक्त किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य जिले/राज्य स्तर पर स्थित उपयुक्त संगठन/संस्था को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा।
3. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर ऐसे संगठन/संस्था का चिन्हिकरण किया जा सकेगा, जिन्हें उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता की जा सके।
4. जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भी भावी उपयुक्त सुविधा एवं वर्तमान में कार्यरत उपयुक्त सुविधा का डाटाबेस तैयार किये जाने उपरान्त उसे बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय तथा स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से साझा किया जायेगा। इस प्रयोजन इकाई द्वारा विभिन्न माध्यमों से भावी उपयुक्त सुविधाओं को चिन्हित करने का कार्य संपादित किया जायेगा। इकाई से प्राप्त होने वाले भावी उपयुक्त सुविधाओं के डाटाबेस में से भी बोर्ड या समिति आवश्यक जांच उपरान्त किसी संगठन/संस्था को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी कार्यवाही अमल में ला सकेगी।
5. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हित कोई संगठन/संस्था के अतिरिक्त अन्य कोई सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था जो विधि से संघर्षरत बच्चे तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त सुविधा हेतु निर्धारित कार्यों को सम्पादित करने में इच्छुक हो, के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर भी आवश्यक विचार उपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।
6. प्रत्येक चिन्हित उपयुक्त सुविधा का प्रबंधक विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए बच्चों को अस्थायी रूप से प्राप्त करने का इच्छुक होना आवश्यक होगा।

2. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) हेतु सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज–

1. किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रारूप 38 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

2. संबंधित संगठन/संस्था के प्रबंधक द्वारा नियम 27(2) के अनुसार मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियम, विधान, संगम–ज्ञापन, साधारण सभा की सूची, न्यासियों की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र), वार्षिक रिपोर्ट, संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि की एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामूहिक पालन–पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में पंजीयन एवं संचालन के संबंध में संबंधी कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 44 एवं नियम 23 तथा इस प्रयोजन राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

3. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) हेतु सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रकिया–

1. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था से प्राप्त प्रस्ताव पर नियम 27(5) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में उचित निर्णय लिया जायेगा। बोर्ड या समिति द्वारा लिये गए निर्णय से लिखित में संबंधित संगठन/संस्था को अवगत कराया जायेगा।
2. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा किसी संगठन/संस्था से आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच एवं निरीक्षण के दौरान बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के विशेष संदर्भ में प्रावधान तथा अन्य आवश्यक उपलब्ध सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संगठन/संस्था को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
3. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय यह भी विशेष ध्यान रखा जायेगा की संबंधित संगठन/संस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो।
4. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त जिन प्रकरणों में संगठन/संस्था को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, तो बोर्ड या समिति द्वारा प्रारूप 39 में आदेश जारी किया जायेगा।
5. उपयुक्त सुविधा के रूप में किसी संगठन/संस्था की मान्यता आदेश दिनांक से 3 वर्ष के लिए होगी, तथा जिसे संतोषजनक पाये जाने पर और 3 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

8. उपयुक्त सुविधा द्वारा अपनी बाल संरक्षण नीति जारी की जायेगी, जिसकी उपयुक्त सुविधा में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्मिक द्वारा अनिवार्यता से पालना की जायेगी।
9. उपयुक्त सुविधा में रखे गए बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार नहीं हो, इस बाबत् आवश्यक प्रबन्ध करेगी।
10. किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने देगें।
11. उपयुक्त सुविधा के द्वारा बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने, उसके गुम होने/दुर्व्यवहार होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को लिखित में सूचित करेंगे।
12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश की पालना करेंगे।

5. उपयुक्त सुविधा में बच्चों का प्रवेश एवं अवधि–

1. उपयुक्त सुविधा में किसी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा आदेशित बच्चे को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा इनके आदेश से ही बच्चों को उपयुक्त सुविधा से पृथक किया जा सकेगा।
2. किसी बच्चे को उपयुक्त सुविधा में भेजते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि वह बच्चे की जरूरतों की पूर्ति के साथ–साथ उसके सर्वोत्तम हित में हो।
3. नियम 27(11) के अनुसार किसी बच्चे को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के लिए रखा जाएगा, जोकि बच्चे के लिए उपयुक्त प्रतीत हो।
4. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि–

    - यथासम्भव किसी समय पर उपयुक्त सुविधा में 10 से अधिक बच्चे आवासरत न हो।
    - दत्तक ग्रहण योग्य 0 से 6 वर्ष की अवधि के बच्चों को केवल अल्पकालिक देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा में नहीं रखा जायेगा।
    - सामूहिक पालन–पोषण देखरेख को छोड़कर अन्य विशिष्ट प्रयोजन के लिए बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक आवासीय उपयुक्त सुविधा हो।
    - उपयुक्त सुविधा किसी बाल देखरेख संस्थान के रूप में संचालित न हो।

5. ऐसी उपयुक्त सुविधाएं जो कि एक निश्चित समय अवधि के लिए संचालित हो, में आवासरत बच्चों को अवकाश के समय बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा अथवा किसी बाल देखरेख संस्थान में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

6. ऐसी उपयुक्त सुविधा जिनकी मान्यता निरस्त की गई है, में रह रहे बच्चों को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा अथवा किसी बाल देखरेख संस्थान में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

6. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया–

1. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा में बच्चों को प्रदान की जा रही देखरेख और संरक्षण के संतोषजनक नहीं होने या सुविधा में मौजूद व्यवस्थाओं या प्रबंधन के मानक असंतोषजनक होने या अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट या किसी अन्य कारण से अधिनियम की धारा 51(2) एवं नियम 27(7) के तहत लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या समिति द्वारा आदेश में उल्लेखित दिनांक से उपयुक्त सुविधा की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
2. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा में किसी बच्चे के साथ शोषण या दुर्व्यवहार कारित करने की स्थिति में भी उपयुक्त सुविधा की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
3. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश उपरान्त संबंधित संगठन/संस्था उपयुक्त सुविधा के रूप में कार्य नहीं कर पायेंगे।
4. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा जिन उपयुक्त सुविधा की मान्यता निरस्त की गई है, उनकी सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भेजी जाएगी।

7. अनुदान/अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा–

1. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति से मान्यता प्राप्त संगठन/संस्था द्वारा उपयुक्त सुविधा द्वारा बच्चे को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु विस्तृत प्रस्ताव मय अपेक्षित वित्तीय सहायता के साथ संगठन/संस्था के नियम, विधान, संगम–ज्ञापन, साधारण सभा की सूची, न्यासियों की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र), वार्षिक रिपोर्ट, संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख, बच्चों के साथ कार्य करने के 3 वर्ष के अनुभव प्रमाण इत्यादि की एक प्रति आवेदन के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत की जायेगी।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अध्ययन करने उपरान्त अपनी राय/अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

6. यदि किसी संगठन/संस्था को पूर्व में यदि किसी अन्य जिले के बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो संबंधित बोर्ड या समिति आवश्यक निरीक्षण तथा मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड या समिति से संबंधित संगठन/संस्था के दस्तावेज प्राप्त कर उसे स्वयं के स्तर पर भी बच्चें के विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी। ऐसे प्रकरणों में मान्यता प्रदान करने से पूर्व संबंधित उपयुक्त सुविधा के प्रबंधक से बच्चों को अस्थायी रूप से प्राप्त करने के इच्छुक होने संबंधी लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी।
7. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं की सूची कार्यालय में संधारण के पश्चात बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भेजी जाएगी।

4. उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी संगठन या स्वैच्छिक अथवा अन्य पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था के दायित्व–

1. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन/संस्था द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में नियम 27(3) के प्रावधानानुसार निम्नलिखित न्यूनतम मापदंड़ों की पालना की जायेगी–

   (i) बच्चे की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति करेगी।
   (ii) उपयुक्त सुविधा में रखे गए बच्चे को आधारभूत सेवाएं प्रदान करेगी।
   (iii) उपयुक्त सुविधा में रखे गए बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता/शोषण/उपेक्षा/दुर्व्यवहार नहीं होने देगी।
   (iv) बोर्ड या समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करेगी।

2. उपयुक्त सुविधा में कार्य करने वाले कार्मिकों का उनके क्षेत्र में दक्षता एवं अनुभव होना चाहिए ताकि वे बच्चें के विशिष्ट प्रयोजन का उद्देश्य प्राप्त कर सके।
3. उपयुक्त सुविधा द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं/सेवाओं की पूर्ति उपरान्त आवश्यक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जायेगें।
4. उपयुक्त सुविधा द्वारा बच्चे को समय–समय पर उसके प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा। तथा वह प्रकरण की गोपनीयता एवं बच्चे की निजता को बनाए रखेगा।
5. उपयुक्त सुविधा में रह रहे बच्चों का विस्तृत केस एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का रिकार्ड संधारित किया जायेगा।
6. बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं बच्चों मे हो रहे परिवर्तन से नियमित अन्तराल पर संबंधित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय अवगत कराया जायेगा।
7. उपयुक्त सुविधा में रखे गए बच्चों के आवास के दौरान बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संगठन/संस्था की होगी।

Scanned by CamScanner

3. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त प्रस्तावों पर अधिकतम 1 माह में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। उपयुक्त सुविधा के प्रस्ताव पर सोसायटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
4. स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधाओं के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।
5. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा इन दिशा–निर्देशों का प्रभावी कियान्वयन एवं मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं का निर्धारित अन्तराल पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जायेगा।
6. राज्य एवं जिला स्तर पर गठित निरीक्षण समितियों द्वारा समय–समय पर अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं का निरीक्षण किया जाकर इसकी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई, स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(निष्काम दिवाकर)
निदेशक

क्रमांक एफ 20( )( ) बाअवि/ Fit Facility & Fit Person/2016/3720-859 जयपुर, दिनांक 11/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान।
6. समस्त पीठासीन अधिकारी, बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट).....।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त एवं प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई.....।
9. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड.....।
10. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
11. रजिस्ट्रार, बाल संदर्भ केन्द्र, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
13. समस्त उप/सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
14. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय/गैर राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/बालिका गृह/राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/शिशु गृह.....।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Scanned by CamScanner